न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या 404 / 2026</u>
मरांची थाना कांड संख्या 106 / 2025

———————————————————————————————————————

सन्नी कुमार, पिता स्व0 कैलाश महतो उर्फ भुटू महतो, उम्र करीब 25 वर्ष
साकिन–राजेश नगर, थाना मरांची, जिला पटना.....आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मृणाल शंकर
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

———————————————————————————————————————

23.07.2026 काराधीन आवेदक अभियुक्त सन्नी कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद मरांची थाना कांड संख्या 106 / 2025, अंतर्गत धारा 137(2), 140(3) भारतीय न्याय संहिता एवं जोड़ा गया धारा 103(1) भारतीय न्याय संहित से सम्बंधित है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 23.05.2026 से कारा में है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध इस वाद एवं मारांची थाना कांड सं0 <u>31 / 2026</u> के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहस नहीं है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और इसने कोई अपराध नहीं किया है। झूठा एवं बनावटी वाद में गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक का इस घटना से कोई सम्बंध नही है तथा पुलिस के समक्ष लिये गये कबूलनामे का कोई मूल्य नहीं है। इस वाद के स्वीकारोक्ति बयान को तृतीय डिग्री विधि से प्राप्त किया गया है। संपूर्ण अभियोजन कथानक मनगढ़ंत एवं झूठा है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नही है और इनके विरुद्ध आरोपित धारा लागू नही होती है। आवेदक अभियुक्त के फरार होने की कोई संभावना नही है। आवेदक अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः इन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं और निवेदन करते कि आवेदक अभियुक्त पर आरोपित धारा अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का है। ऐसी परिस्थिति में इनका नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद की सूचिका बेगम देवी है, जो ग्राम राजेशनगर की निवासी है। इन्होंने अपना फर्दबयान थानाध्यक्ष मरांची को दिया है, जिसमें सूचिका का कथन है कि इनकी पुत्री उनिती कुमारी उम्र करीब 28 वर्ष का 7 वर्ष पहले बरौनी अमरपुर गांव में मुनचुन कुमार के साथ शादी किये थे। इसी बीच सूचिका की पुत्री उनिती कुमारी ग्राम राजेशनगर के श्रवण महतो के साथ प्रेम–प्रसंग में पड़ गई और पूर्व से जहां शादी हुई थी, उस लड़का मुनचुन कुमार को छोड़ दी एवं श्रवण महतो के साथ रहने लगी। इसी बीच कई बार श्रवण महतो के साथ विवाद हुआ, जिसको लेकर केस भी दर्ज हो चुका है। सूचिका की पुत्री उनिती कुमारी बड़हिया रेफरल अस्पताल के पास किराये का कमरा लेकर झाड़ू–पोंछा का काम कर वहीं पर जीवन यापन कर रही थी, वहीं पर श्रवण महतो भी जाकर साथ में रहते थे। दशहरा में सूचिका की पुत्री उनिती कुमारी के

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या 404 / 2026</u>
मरांची थाना कांड संख्या 106 / 2025

लगातार
23.07.2026

मो0 नं0 9241073501 पर बात हुई थी उसके बाद से सूचिका की पुत्री फोन नहीं की। दि0 05.10.2025 को राजेशनगर श्रवण महतो से मिलने के लिए आई थी, उस दिन से वह कहाँ गई पता नहीं चल पा रहा है। बड़हिया स्थित उसके डेरा पर पहुंचे तो देखे कि उसके कमरा में ताला लगा हुआ है। मकान मालिक से भी उसके बारे में पूछताछ करने पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। सूचिका को पूर्ण विश्वास है कि इनकी पुत्री उनिती कुमारी को श्रवण महतो एवं उसके परिवार के लोगों के द्वारा गायब कर दिया गया है।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न कांड दैनिकी तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त अप्राथमिकी अभियुक्त है। अभियुक्त का नाम अनुसंधान के क्रम में आया है। आवेदक अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्त श्रवण कुमार के साथ मिलकर सूचिका बेगम देवी की पुत्री का अपहरण कर लेने तथा पश्चात् में अपृहता उनति कुमारी की हत्या कर देने का आरोप है। प्राप्त कांड दैनिकी के पारा–5 में वादिनी बेगम देवी ने प्राथमिकी का समर्थन किया है तथा श्रवण महतो द्वारा उसकी पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग कर उसे गायब कर देने की बात कही है। पारा–6 एवं 7 में साक्षी संजु देवी एवं सुमित्रा देवी ने भी अपहृता के साथ श्रवण कुमार के प्रेम–प्रसंग और उसके साथ रहने तथा उसके द्वारा अपहृता को गायब करने की बात कही है। कांड दैनिकी के पारा 76 में आवेदक अभियुक्त जो श्रवण कुमार के ट्रक पर खलासी का कार्य करता है को संदिग्ध पाते हुए उससे पूछताछ की गई। आवेदक द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है कि श्रवण कुमार के साथ मिल कर अपहृता को ट्रक से ले जाकर गिरा देने तथा उसके सिर पर गाड़ी चढ़ाते हुए उसकी हत्या कर देने की बात स्वीकार किया है। पारा–84 में अपहृता की लाश बरामद होने पर चौकीदार चन्द्रशेखर पासवान के आवेदन पर उसकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाये जाने की बात का वर्णन है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में ट्रक से धक्का लगने से मृत्यु होने की बात कही गई है, जिससे आवेदक अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान की पुष्टि भी होती है। पारा–92 में सह अभियुक्त श्रवण कुमार के मोबाईल का सीडीआर प्राप्त किया गया है, जिससे घटनास्थल पर उसके होने तथा अपहृता की हत्या कारित करने की पुष्टि होती है। आवेदक अभियुक्त पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर सूचिका की पुत्री का अपहरण कर उसे ट्रक से कुचलकर उसकी हत्या कारित करने का गंभीर आरोप है। वाद अभी अनुसंधानरत है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त सन्नी कुमार का नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(लेखापित / शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ